समाहरणालय, मुंगेर
(जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर)
आदेश

सचिव, परिवहन विभाग-सह- सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, बिहार पटना के सं0स0-03/प्र0-बजट (सड़क सुरक्षा वाहन पर शमन) -20/2018 :-54/परि0, दिनांक:-14.12.2018 के द्वारा बजट शीर्ष -2041- वाहन कर-00-101- संग्रहण प्रभार -0003- बिहार सड़क सुरक्षा निधि में वाहन पर शमन से प्राप्ति का अंशदान ,विपत्र कोड-47-204101010003 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु निधि मद में अधोलिखित आंवटन प्राप्त हुआ है। जो निम्न प्रकार है ।

(1) कार्यालय व्यय (13-01) - 2,00,000.00
(2) भाड़े की गाड़ी का भुगतान (13-10) - 50,000.00
(3) प्रशिक्षण व्यय(20-03) - 1,00,000.00
(4) विज्ञापन एवं प्रकाशन (26-01) - 1,00,000.00

कुल :- 4,50,000.00 (चार लाख पचास हजार) रूपये मात्र।

जिसे अधोलिखित पदाधिकारी को उनके नाम से सामने स्तम्भ-3,4,5 एंव 6 में अंकित राशि को उपावंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कार्यालय व्यय (13-01)	भाड़े की गाडी का भुगतान (13-10)	प्रशिक्षण व्यय (20-03)	विज्ञापन एवं प्रकाशन (26-01)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	
1.	जिला परिवहन पदाधिकारी,मुंगेर	2,00,000.00	50,000.00	1,00,000.00	**1,00,000.00**	**4,50,000.00**
	कुल योग :-	**2,00,000.00**	**50,000.00**	**1,00,000.00**	**1,00,000.00**	**4,50,000.00**

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय ।

उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

उपांवटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एंव जॉच पडताल के बाद ही किया जाय ,यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पुरी जिम्मेवारी निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

उपांवटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लधु शीर्ष / उप शीर्ष / प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर ,ईकाईयों का कोड ,विपत्र कोड एंव मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें । ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

उपावंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आंवटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय । तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जबाबदेही संबंधित निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

उपावंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नं0-तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह0/-
जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला सड़क सुरक्षा समिति मुंगेर।

ज्ञापांक.....1399../परि0, दिनांक.....24/12/2018

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी,मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस उपावंटन आदेश को मुंगेर के बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग-सह- सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, बिहार पटना को उनके सं0स0-03/प्र0-बजट (सड़क सुरक्षा वाहन पर शमन) -20/2018 :-54/परि0, दिनांक:-14.12.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/18

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला सड़क सुरक्षा समिति मुंगेर।

D:\dto office\Order allot 18-12-2018.doc